न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 13/2004 आवंटन नियम 14(4)

सरकार जरिये तहसीलदार, महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

नाहर सिंह पुत्र रामधन जाति मीना निवासी बलीन तहसील महवा जिला राजस्थान (फोत)
1.1फूलबाई पत्नि नाहर सिंह मीना(फोत)
1.2 सीयाराम पुत्र नाहर सिंह
1.3 हरिराम पुत्र नाहर सिंह मीना
1.4 शिब्बूराम पुत्र नाहर सिंह मीना
1.5 नरेश चन्द पुत्र नाहर सिंह मीना
समस्त निवासी ग्राम बलीन तहसील महवा जिला दौसा राज0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय   दिनांक: 14.10.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.2000 को ग्राम बलीन तहसील महवा के आ0ख0नं0 47/758 रकबा 0.16 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी नाहर सिंह पुत्र रामधन मीना को किया गया। अप्रार्थी नाहर सिंह द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, महवा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम कमालपुर द्वारा दिनांक 26.6.2000 को अप्रार्थी नाहरसिंह पुत्र रामधन मीना निवासी ग्राम बलीन तहसील महवा जिला दौसा को ग्राम बलीन स्थित आराजी खसरा नंबर 47/758 रकबा 0.16है0 भूमि का आवंटन किया गया था। किंतु आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2058 से 2060 में भूमि पडत दर्ज है। पिछले तीन वर्ष से आवंटी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर उक्त आराजी खसरा नंबर 47/758 ऊबड खाबड है [illegible] होती है। उक्त आराजी में दो सिंचाई की बोरिंग व सिंचाई कार्य हेतु एक बड़ा कुआं बना हुआ है। उक्त बोरिंग [illegible] घनश्याम पुत्र बदरी मीना निवासी बलीन का है। आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसील में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:18 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

प्रा0 पत्र सं0 13/2004 आवं.नि.14(4)

तहसील कार्यालय महवा में पेश किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या 3 के अनुसार आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण दिनांक 30.7.2004 को खारिज किया जा चुका है। अप्रार्थी नाहर सिंह मीना द्वारा अपने बयानों में भी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने बाबत अवगत कराया था, दीगर व्यक्ति का कब्जा बताया था। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि पर अन्य व्यक्ति काबिज है। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी नाहर सिंह पुत्र रामधन मीना को दिनांक 26.6.2000 को ग्राम बलीन तहसील महवा स्थित आराजी खसरा नंबर 47/758 रकबा 0.16है0 का किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प कमालपुर द्वारा आवंटी नाहर सिंह पुत्र रामधन मीना निवासी बलीन तहसील महवा जिला दौसा को ग्राम बलीन स्थित आराजी खसरा नंबर 47/758 में से 0.16है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2058 से 2060 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। साथ ही आवंटित की गई भूमि पर दीगर व्यक्ति का कब्जा होनाप्रमाणित होता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति मुकाम कमालपुर द्वारा दिनांक 26.6.2000 को आवंटी नाहरसिंह पुत्र रामधन मीना को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26.6.2000 कैम्प कमालपुर द्वारा ग्राम बलीन में आवंटी नाहरसिंह पुत्र रामधन मीना निवासी बलीन के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 47/758 रकबा 0.16है. का किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांकः 14 अक्टूबर, 2022 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:18 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official